[2021] 7 एस. सी. आर. 373

अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक और

वी.

एम. जे. जेम्स

(2009 की सिविल अपील सं. 8223)

16 नवंबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव और संजीव खन्ना, जे. जे.]

बैंक ऑफ कोचीन सर्विस कोडः खंड 22 (ix) (a) अध्याय VIII

- मुख्य कार्यालय के निर्देशों का उल्लंघन करके बैंक को वित्तीय नुकसान पहुँचाने वाले अग्रिमों को मंजूरी देने के लिए बैंक प्रबंधक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही-बैंक प्रबंधक को किसी अन्य संगठन के कर्मचारी संघ के पदाधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं-इसके बाद, प्रबंधक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया

लगभग साढ़े चार साल बाद चुनौती-दोनों एकल

न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने बैंक प्रबंधक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में अवलोकन और निष्कर्ष

अग्रिमों के अनुदान में अपने अधिकार का उल्लंघन करने के संबंध में अनियमितताओं का पहलू, स्पष्ट और निर्विवाद-बैंक प्रबंधक को पता था कि उनकी पसंद के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था-तब भी उन्होंने समय लिया और जांच अधिकारी के आदेश के खिलाफ निदेशक मंडल के समक्ष अपील दायर नहीं करने का फैसला किया।

साक्ष्य देने से इनकार कर दिया था-खंड 22 (ix) (a) के अनुसार, एक अधिकारी को एक प्रतिनिधि द्वारा बचाव करने की अनुमति भी दी जा सकती है। 'बैंक' कर्मचारियों का पंजीकृत संघ/संघ, जिसका अर्थ है बैंक ऑफ कोच्चि के कर्मचारियों का एक संघ/संघ, न कि किसी या अन्य बैंक का

प्रावधान यह निर्धारित नहीं करता है कि कर्मचारी को किसी प्राधिकरण या जांच से अनुमति की आवश्यकता होती है।

प्रतिनिधित्व के लिए अधिकारी-इसके अलावा, बर्खास्तगी आदेश को चार साल से अधिक समय तक चुनौती नहीं दी गई।

सेवा संहिता किसी भी समय अवधि को निर्धारित नहीं करती है जिसके भीतर अपील को प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एक उचित समय के भीतर होना चाहिए-लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया गया अधिकार अस्तित्व में नहीं है-विलंब और विलम्ब के सिद्धांत के साथ-साथ ऐसे वादियों के गैर-मुकदमे पर सहमति भी लागू होती है-तत्काल मामले में, बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी जाती है।

अपील के माध्यम से सेवा से चार साल के बाद था, जो अत्यधिक विलंबित था और न्यायोचित समय से परे था-न्यायालय को सचेत रूप से जांच करनी है कि क्या किसी पक्ष ने मामले पर बैठने का विकल्प चुना है और कोई लाभ और लाभ प्राप्त करने के लिए जाग गया है-इन पहलुओं को, जब साबित हो जाता है, तो कारक और संतुलित होना चाहिए, भले ही अधिकारियों की ओर से देरी और अड़चनें हों-अधिकारियों की ओर से अध्ययन की गई खामोशी

प्रत्यर्थी, एक गुप्त उद्देश्य के साथ था क्योंकि वह चूक का लाभ उठाना चाहता था, हालांकि उसे बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है और बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा जाता है-सेवा कानून।

खंड 22 (ix) (a), 2 (e)-परिभाषा खंडों का उद्देश्य-आयोजितः

जिस विषय वस्तु पर शब्द या अभिव्यक्ति लागू करने का इरादा है, उसका वर्णन करने में बार-बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए-यह तब उपयोगी होता है जब एक ही शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग एक ही अधिनियम में एक से अधिक बार किया जाता है-परिभाषा कानून द्वारा पहले से स्थापित अर्थ को आकर्षित करने के इरादे से हो सकती है; एक अर्थ जोड़कर अर्थ का विस्तार करें; या बहिष्करण द्वारा अर्थ को संकीर्ण करें-प्रतिकूलता तब उत्पन्न होगी जब परिभाषा का अर्थ संदर्भ में विषय से सहमत नहीं होता है।

खंड 22 (ix) (a) के संदर्भ में 'बैंक' शब्द से पहले खंड 22 (ix) (a) में अनुच्छेद 'द' की अनुपस्थिति से उत्पन्न होता है।

पूछताछः घरेलू पूछताछ-प्रतिनिधित्व का चयन-अधिकार

का-आयोजितः अपनी पसंद के वकील या एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन इसे कानून, नियमों या विनियमों द्वारा नियंत्रित या विनियमित किया जा सकता है-हालाँकि, यदि आरोप गंभीर और जटिल प्रकृति का है, तो वकील या एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए-कहा गया प्रस्ताव न्यायिक के साथ-साथ अर्ध-न्यायिक निर्णयों में लागू निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से प्रवाहित होता है।

' एक्विजेंस 'और' डिले एंड लैचेस '-के बीच अंतर

आयोजित किया गयाः स्वीकृति का सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत है जो

यह तब लागू होता है जब एक अधिकार रखने वाला पक्ष खड़ा होता है और दूसरे को उस अधिकार के साथ असंगत तरीके से व्यवहार करते हुए देखता है-अधिग्रहण वस्तुतः व्यक्ति के अधिकार को नष्ट कर देता है-हालाँकि, सीमाएँ और बाधाएँ दोनों उपचार को नष्ट कर देते हैं लेकिन अधिकार को नहीं-स्वीकृति जैसी बाधाएँ न्यायसंगत विचारों पर आधारित होती हैं, लेकिन बाधाएँ

तथ्यों पर,

स्वीकृति आयात के विपरीत बैंक प्रबंधक की ओर से सरल निष्क्रियता निष्क्रिय स्वीकृति भी अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य वी हो सकती है।

एम. जे. जेम्स

यह अनुमान अपील दायर करने तक लगाया जाता है, न कि अपील दायर करने के बाद की अवधि के लिए-फिर भी, यह स्वीकृति रोक की प्रकृति में होने के कारण बैंक प्रबंधक को निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के अधिकार के उल्लंघन का दावा करने से रोकती है।

प्रशासनिक कानूनः वैधानिक प्राधिकरण-कर्तव्य का गैर-निष्पादन-विलंब और बाधाओं का बचाव-आयोजितः जब सांविधिक प्राधिकारी उचित समय के भीतर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो यह दलील देकर इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि अपने अधिकारों से वंचित व्यक्ति ने राहत के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क नहीं किया है-सांविधिक प्राधिकरण बाधाओं और देरी का बचाव नहीं कर सकता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 ऐसा लगता है कि चुनौती के तहत दिए गए फैसले ने बैंक ऑफ कोच्चि सर्विस कोड के खंड 2 (ई) के निहितार्थ की अनदेखी की है। परिभाषा खंडों का उद्देश्य बचने के लिए है

जिस विषय वस्तु पर शब्द या अभिव्यक्ति लागू करने का इरादा है, उसका वर्णन करने में बार-बार पुनरावृत्ति। यह तब उपयोगी होता है जब एक ही शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग एक ही अधिनियम में एक से अधिक बार किया जाता है। परिभाषा खंड के पीछे का कारण यह है कि किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय, परिभाषित शब्द या अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो परिभाषित शब्दों या अभिव्यक्ति को निर्माता द्वारा परिभाषा के लिए उपयुक्त अर्थ में नियोजित और उपयोग किया जाता है। परिभाषा कानून द्वारा पहले से स्थापित अर्थ को आकर्षित करने के इरादे से हो सकती है; एक अर्थ जोड़कर अर्थ का विस्तार करें; या बहिष्करण द्वारा अर्थ को संकीर्ण करें। यह

अधिनियम द्वारा निर्धारित निर्माण का सामान्य नियम संदर्भ के अधीन है। हालाँकि, दुभाषिया को, परिभाषित अर्थ से विचलित होने के लिए, यह दिखाने के लिए कारणों को दर्ज करना चाहिए कि उस विशेष प्रावधान में शब्द/अभिव्यक्ति का एक अलग अर्थ है। विपरीत संदर्भ को परिभाषित अर्थ से अलग होने के संकेत और कारण के अभाव में आसानी से नहीं माना या स्वीकार किया जाना चाहिए। घृणा तब उत्पन्न होगी जब परिभाषा का अर्थ संदर्भ में विषय से सहमत नहीं होता है। सेवा संहिता के अध्याय VIII के खंड 22 (ix) (a) के संदर्भ में खंड 22 (ix) (a) में 'बैंक' शब्द से पहले अनुच्छेद 'द' की अनुपस्थिति से असहमति का संकेत नहीं दिया गया है और यह उत्पन्न नहीं होता है, जैसा कि विवादित निर्णय में माना गया है। यह बहुत कमजोर और कमजोर एक कारण है कि परिभाषित अर्थ को त्याग दें और उस पर अधिक सवारी करें जो सामान्य मानक है, और एक अपवाद नहीं है जिसे उचित ठहराया जाना चाहिए। 'द' की कमी [2021] 7 एस. सी. आर.

स्पष्ट या स्पष्ट भी नहीं है। खंड 22 (ix) (a) में 'बैंक' शब्द की परिभाषा के अनुसार वैध और प्रभावी ढंग से व्याख्या की जा सकती है। खंड जैसा कि बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड को संदर्भित करता है, और किसी भी या

अन्य बैंक। इसलिए, सेवा संहिता के खंड 22 (ix) (a) में अनुच्छेद 'बैंक से पहले' के अस्तित्व पर पूरी तरह से भविष्यवाणी किया गया तर्क सेवा संहिता के खंड 22 (ix) (a) में प्रतिकूलता के अनुमान को उचित नहीं ठहराता है। सेवा संहिता के खंड 22 (ix) (a) के पीछे के इरादे सहित विषय वस्तु का संदर्भ। [पैरा 18,19] [389-ई-एच; 390-ए-ई]

नहलचंद लालूचंद प्राइवेट लिमिटेड बनाम पांचाली कूप।

हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (2010) 9 एस. सी. सी. 536: [2010] 10

एससीआर 804; भगवती डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. पीयरलेस।

जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्र. (2013)

9 एस. सी. सी. 584 [2013] 7 एस. सी. आर. 547; अर्धचंद्र रंग और

निगम लिमिटेड बनाम। के. वी. रामा रेड्डी (2006) 11 एससीसी 645 : [2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 725; धर्मपाल सत्यपाल

और अन्य (2015) 8 एससीसी 519 [2015] 6 एससीआर 437; ए. के. क्राईपाक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

(1969) 2 एससीसी 262: [1970] 1 एस. सी. आर. 457; स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

पटियाला और अन्य बनाम। एस. के. शर्मा (1996) 3 एससीसी 364:

[1996] 3 एससीआर 972; एम. सी मेहता बनाम भारत संघ और

अन्य (1999) 6 एस. सी. सी. 237: [1999] 3 एस. सी. आर. 1173; एस. कपूर वी. जगमोहन और अन्य (1980) 4 एस. सी. सी. 379:

[1981] 1 एससीआर 746; यू. पी. राज्य बनाम सुधीर कुमार सिंह

और अन्य (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 847-संदर्भित। बैनियोन ऑन स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन, इंडियन रिप्रिंट,

छठा संस्करण-संदर्भित।

1.2 एक वकील या एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार

किसी की पसंद एक पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि वह है जिसे कानून, नियमों या विनियमों द्वारा नियंत्रित, प्रतिबंधित या विनियमित किया जा सकता है। हालांकि, यदि आरोप गंभीर और जटिल प्रकृति का है, तो एक वकील या एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए। उक्त प्रस्ताव अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक अन्य की पात्रता से प्रवाहित होता है।

एम. जे. जेम्स

निष्पक्ष सुनवाई, जो न्यायिक के साथ-साथ अर्ध-न्यायिक निर्णयों में लागू होती है। [पैरा 20] [391-सी-ई]

1.3 प्रत्यर्थी इस बात से अवगत था कि उसकी पसंद के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का उसका अनुरोध किया गया था

अस्वीकार कर दिया। फिर भी उन्होंने समय लिया और जांच के आदेश के खिलाफ निदेशक मंडल के समक्ष अपील दायर नहीं करने का फैसला किया

अधिकारी ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जांच की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी और फिर पेश करने के लिए एक आवेदन दायर किया दस्तावेज़। प्रासंगिकता के बारे में पूछे जाने पर, उनका रुख यह था कि दस्तावेज़ कैसे प्रासंगिक थे, इस पर उनके अपने कारण थे। पर्याप्त अवसर के बावजूद, प्रतिवादी ने सबूत पेश नहीं किए या गवाहों से पूछताछ नहीं की, और अचानक खड़ा हो गया और बाहर चला गया। अनुशासनात्मक कार्यवाही में अवलोकन और निष्कर्ष

अग्रिम अनुदान, खोज बिलों की स्वीकृति और जारी करने में अपने अधिकार से अधिक के संबंध में अनियमितताओं का पहलू बैंक गारंटी आदि स्पष्ट हैं और अनियंत्रित रहती हैं। प्रत्यर्थी का बचाव इस बहाना के रूप में कि उसने इसका पालन किया था

तत्कालीन अध्यक्ष और निदेशक के मौखिक निर्देश, जो संदिग्ध योग्यता के हैं, को अप्रमाणित बताते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस पहलू पर कुछ हद तक गुणों को प्रतिबिंबित करते हुए, एकल न्यायाधीश ने कहा था

कि आरोप यदि साबित हो जाते हैं तो घोर दुराचार का गठन करते हैं, जो बर्खास्तगी की सजा की गारंटी देता है। डिवीजन बेंच ने नहीं किया है

इस पहलू पर टिप्पणी की, लेकिन यह मानते हुए टिप्पणियां की हैं कि पूर्वाग्रह पैदा हुआ था, जो तर्क को बनाए नहीं रखा जा सकता है। चुनौती के तहत निर्णय के प्रभाव पर विचार नहीं करते हैं

प्रतिवादी द्वारा बचाव का अनुरोध किया गया और क्या कोई प्रभावी इनकार नहीं था। प्रतिवादी का आचरण, जिसमें शामिल हैं -

विभागीय कार्यवाही के दौरान दिए गए अवसरों पर किसी का ध्यान नहीं गया है। बहाना पर, प्रतिवादी ने मामलों या उदाहरणों का कोई विवरण या विवरण प्रस्तुत नहीं किया और सबूत देने से इनकार कर दिया। खंड 22 (ix) (a), जैसा कि कहा गया है, यह परिकल्पना करता है कि एक कर्मचारी जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है, अभियोग ज्ञापन के साथ सेवा करने पर, अपना स्पष्टीकरण तैयार करने और प्रस्तुत करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए जिसे वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहे। उसे उपस्थित होने की अनुमति है।

जाँच करने वाले अधिकारी से पहले, गवाहों से जिरह करें और अपने बचाव में अन्य सबूत पेश करें। इसके अलावा, अधिकारी को एक द्वारा बचाव करने की भी अनुमति दी जा सकती है

प्रतिनिधि, जो एक पंजीकृत [2021] 7 एस. सी. आर. का प्रतिनिधि होना चाहिए।

'बैंक' कर्मचारियों का संघ/संघ, जिसका अर्थ है बैंक ऑफ कोच्चि के कर्मचारियों का संघ/संघ और नहीं

किसी भी या अन्य बैंक के कर्मचारियों का संघ। विशेष रूप से, प्रावधान यह निर्धारित नहीं करता है कि कर्मचारी को क्या चाहिए बैंक ऑफ कोच्चि के पंजीकृत संघ या संघ के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी प्राधिकरण या जांच अधिकारी से अनुमति। इस तरह की अनुमति की आवश्यकता है यदि

एक कर्मचारी चाहता है कि एक वकील अनुशासनात्मक कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करे। इस मामले में, खंड पीठ द्वारा विवादित फैसले में की गई टिप्पणियों के विपरीत, प्रतिवादी ने कभी भी किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुरोध या अनुमति नहीं मांगी थी। यह प्रतिवादी के जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की पेशेवर स्थिति से अवगत होने के बावजूद है। [पैरा 26] [396-बी-एच; 397-ए-सी]

1.4 18.04.1985 पर पारित बर्खास्तगी आदेश को चार साल से अधिक समय तक चुनौती नहीं दी गई, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक को अपील दायर की गई थी।

मामला। एक अधिकार जिसका लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया जाता है, वह अस्तित्व में नहीं है। अनुचित विलम्ब के बाद कार्रवाई करने के लिए किसी भी उचित स्पष्टीकरण के बिना देर से अदालत/अपीलीय अधिकारियों से संपर्क करने वाले वादियों पर देरी और विलंब के साथ-साथ सहमति का सिद्धांत लागू होता है। तत्काल मामले में, अपील के माध्यम से सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती चार साल और पांच महीने के बाद दी गई थी, जो निश्चित रूप से अत्यधिक विलंबित और न्यायोचित समय से परे है। संतोषजनक नहीं देरी को उचित ठहराते हुए स्पष्टीकरण, यह मानना मुश्किल है कि अपील को उचित समय के भीतर प्राथमिकता दी गई थी। विशेष रूप से, चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर थी कि प्रत्यर्थी को अपनी पसंद के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं थी।

द चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक अन्य बनाम। एम. जे. जेम्स

प्रत्यर्थी जानता था कि भले ही वह इस आधार पर सफल हो जाए, जैसा कि रिट कार्यवाही में हुआ है, नई जांच को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा क्योंकि अंतिमता तब तक संलग्न नहीं की जाती है जब तक कि कोई कानूनी या वैधानिक बाधा न हो, एक ऐसा पहलू जो विवादित निर्णय में देखा गया हो। विलंबित चुनौती के कारण अपीलार्थियों के प्रति हुए पूर्वाग्रह को दर्शाने के लिए इस पर प्रकाश डाला गया है। [पैरा 27] [397-सी-एच; 398 ए-बी]

1.5 भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के साथ प्रत्यर्थी द्वारा की गई अपील बनी हुई थी

लगभग नौ वर्षों से अनुपस्थित। अपीलार्थी, यह स्पष्ट है,

बस रास्ता भटक गया और भूल गया कि सेवा अपील दायर की गई थी या लंबित थी। प्रत्यर्थी कभी भी अपीलार्थी के बैंक का कर्मचारी नहीं था क्योंकि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, लगभग चार महीने पहले बैंक ऑफ कोच्चि, एक निजी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय हो गया था। अपीलार्थियों की गलती होने के कारण उन्हें बोझ और प्रतिकूल परिणाम भुगतने होंगे। [पैरा 28] [398-बी-डी]

राम चंद और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य

(1994) 1 एससीसी 44: [1993] 2 पूरक। एससीआर 558; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मनोहर (2005) 2 एससीसी 126: [2004] 6 पूरक। एस. सी. आर. 911; भारत संघ और अन्य बनाम तारसेम सिंह (2008) 8 एस. सी. सी. 648: [2008] 12 एस. सी. आर. 104; मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1979) 2 एससीसी 409 [1979] 2 एससीआर 641;

यू. पी. जल निगम और एक अन्य बनाम जसवंत सिंह और

एक अन्य (2006) 11 एस. सी. सी. 464-संदर्भित।

1.6 सहमति का सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत है जो तब लागू होता है जब एक अधिकार रखने वाला पक्ष दूसरे पक्ष के साथ खड़ा होता है और दूसरे पक्ष को देखता है।

उस अधिकार के साथ असंगत तरीके से व्यवहार करना, जबकि अधिनियम प्रगति पर है और उल्लंघन पूरा होने के बाद, जो आचरण करता है

यह उसकी सहमति या समझौते को दर्शाता है। वह बाद में शिकायत नहीं कर सकता। शाब्दिक अर्थ में, सहमति शब्द का अर्थ है मौन सहमति, मौन सहमति, सहमति या स्वीकृति, जो उस आचरण को दर्शाता है जो एक पक्ष के न्यायसंगत अधिकार को छोड़ने के इरादे का प्रमाण है और उस आचरण को भी दर्शाता है जिससे किसी अन्य पक्ष को इस तरह के इरादे का अनुमान लगाने में उचित ठहराया जाएगा। अधिग्रहण या तो पूर्ण ज्ञान और व्यक्त अनुमोदन के साथ प्रत्यक्ष हो सकता है, या अप्रत्यक्ष रूप से जहां कार्रवाई को अलग करने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति [2021] 7 एस. सी. आर. द्वारा खड़ा है।

और दूसरे व्यवहार को उस अधिकार के साथ असंगत तरीके से देखता है और उल्लंघन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करता है

स्वीकृति। हालाँकि, यदि समय बीतने का कोई महत्व या परिणाम नहीं है तो सहमति लागू नहीं होगी। [पैरा 29] [400-बी-ई]

प्रभाकर बनाम। संयुक्त निदेशक, रेशम उत्पादन विभाग और दूसरा (2015) 15 एस. सी. सी. 1: [2015] 9 एस. सी. आर. 890; गोविंद

रामानुज दास मोहंता बनाम। राम चरण दास और

सुयमल दास ए. आई. आर. 1925 कैल 1107; मेसर्स विद्यावती कपूर ट्रस्ट बनाम। मुख्य आयुक्त कर (1992) 194 आई. टी. आर. 584; कृष्ण देव बनाम। श्रीमती. राम प्यारी ए. आई. आर. 1964 एच. पी. 34 को संदर्भित किया गया।

यू. एन. मित्र, टैगोर लॉ लेक्चर-लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन, खंड I, 14 वां संस्करण, 2016-का उल्लेख किया गया है।

1.7 सीमा के विपरीत लैच लचीले होते हैं। हालांकि, सीमा और अवरोध दोनों ही उपचार को नष्ट कर देते हैं लेकिन अधिकार को नहीं। स्वीकृति जैसी बाधाएं न्यायसंगत विचारों पर आधारित हैं, लेकिन

स्वीकृति आयात के विपरीत सरल निष्क्रियता भी होती है। दूसरी ओर, स्वीकृति का अर्थ सक्रिय सहमति है और यह पैसे में अवरोध के नियम पर आधारित है। अवरोध के एक रूप के रूप में, यह एक पक्ष को बाद में अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करने से रोकता है। यहां तक कि अप्रत्यक्ष स्वीकृति का अर्थ लगभग सक्रिय सहमति है, जिसका अनुमान केवल मौन या निष्क्रियता से नहीं लगाया जा सकता है जो बाधाओं में शामिल है। इस तरह से प्राप्ति देरी से काफी अलग है। अधिग्रहण वस्तुतः व्यक्ति के अधिकार को नष्ट कर देता है। दिया गया है।

उक्त कानूनी स्थिति, प्रतिवादी की ओर से निष्क्रिय सहमति का अनुमान अपील दायर होने तक लगाया जा सकता है, न कि अपील दायर करने के बाद की अवधि के लिए। फिर भी, यह विरोध की प्रकृति में होने की स्वीकृति प्रतिवादी को निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के अधिकार के उल्लंघन का दावा करने से रोकती है। [पैरा 30] [400-ई-जी; 401-ए-बी]

1.8 पक्षपात, स्थिति में परिवर्तन, तीसरे पक्ष के अधिकारों या हितों के निर्माण के प्रश्न।

राहत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक पहलू हैं क्योंकि देरी तथ्यों को अस्पष्ट कर सकती है, संदिग्ध दावों को प्रोत्साहित कर सकती है, और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय को रोक सकती है।

अक्सर, प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य v. एम. जे. जेम्स

या पता लगाने योग्य नहीं हैं जो विपरीत पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा करते हैं। इसलिए अदालत के लिए यह आवश्यक है कि वह सचेत रूप से जांच करे कि क्या

एक पक्ष ने इस मामले पर बैठने का विकल्प चुना है और कोई भी लाभ और लाभ प्राप्त करने के लिए जाग गया है। इन पहलुओं को, जब साबित किया जाता है, तो कारक और संतुलित किया जाना चाहिए, भले ही अधिकारियों की ओर से देरी हो। इनका अनुदान पर प्रभाव पड़ता है और

राहत को रोकना। इसलिए, इस न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखा है कि आक्षेपित निर्णय में दी गई राहत को देखते हुए अपीलार्थियों के प्रति पूर्वाग्रह का पहलू। [पैरा 31] [401-बी-ई]

मेसर्स डेहरी रोहतास लाइट रेल. कं. लिमिटेड बनाम। जिला बोर्ड, भोजपुर और अन्य (1992) 2 एस. सी. सी. 598: [1992] 2 एस. सी. आर. 155; महाराष्ट्र राज्य बनाम दिगंबर (1995) 4 एस. सी. सी. 683 [1995] 1 पूरक। एस. सी. आर. 492 संदर्भित है।

आर. (पार्किन के आवेदन पर) वी। रेस्टॉर्मेल बी. सी. [2001]

ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 330; आर. वी. एकाधिकार और विलय

आयोग पूर्व पी। आर्गिल समूह [1986] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 763

संदर्भित किया गया।

1.9 इस राहत के गंभीर वित्तीय परिणाम होंगे और यह अपीलकर्ताओं को आगे की कार्रवाई करने से भी रोकेगा।

विपरीत पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह या अच्छे प्रशासन के लिए हानिकारक होगा। अच्छे प्रशासन का यह सिद्धांत है - कठिनाई से स्वतंत्र, या तीसरे पक्ष के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह और विशिष्ट साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है कि यह वास्तव में हुआ है, हालांकि राहत रोकने के संबंध में कुछ साक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है। राहत को केवल असुविधा के लिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जब निर्णय निर्माता को होने वाली कठिनाई अव्यवहारिक हो या जब अंतिमता और निश्चितता की आवश्यकता हो। [पैरा 32] [401-ई-एच; 402-ए] [2021] 7 एस. सी. आर.

1.10 प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था

एक रिट याचिका के माध्यम से जिसके लिए निर्देश जारी किए गए थे अपील पर विचार और निपटान, जिसे एक निर्देश के रूप में व्याख्या की गई थी कि अपील का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। मुख्य महाप्रबंधक की दुर्दशा की सराहना की जा सकती है, जिन्हें संवैधानिक न्यायालय के निर्देश के संदर्भ में अपील पर निर्णय लेना पड़ा और इस प्रकार, देरी और बाधाओं के आधार पर अपील को खारिज करने में उनकी अनिच्छा। याचिका को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हमेशा विवेकाधीन होता है जिसे करना पड़ता है

पक्षों के आचरण को ध्यान में रखें। [पैरा 33] [402-बी-डी]

1.11 प्रत्यर्थी को देय देय राशि

मुख्य महाप्रबंधक की संतुष्टि के लिए सुरक्षा प्रदान करने पर उन्हें विवादित निर्णय जारी किया गया था। सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि जारी की गई राशि एक सावधि जमा में रखा गया। जारी किए गए भुगतान को वापस करने और निर्धारित अवधि के भीतर बिना ब्याज के अपीलार्थी बैंक को वापस करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 34] [402-डी-ई]

1.12 विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। द.

बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप रिट याचिका दायर की जाती है

प्रत्यर्थी द्वारा दायर किए गए आवेदन को खारिज माना जाएगा। [पैरा 35] [402-एफ-जी]

मामला कानून संदर्भ

[2010] 10 एससीआर 804

पै

रा 18

संदर्भित किया गया है

[2013] 7 एससीआर 547

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[1992] 3 पूरक। एससीआर 559

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2006] 6 पूरक। एससीआर 725

पै

रा 20

संदर्भित किया गया है

[2015] 6 एससीआर 437

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[1970] 1 एससीआर 457

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[1996] 3 एससीआर 972

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[1999] 3 एससीआर 1173

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[1981 1 एससीआर 746

संदर्भित किया गया है

पैरा 24 द चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एन्नदर v. एम. जे. जेम्स

[1993] 2 पूरक। एससीआर 558

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[2004] 6 पूरक। एससीआर 911

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[2008] 12 एससीआर 104

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[1979] 2 एससीआर 641

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

(2006) 11 एस. सी. सी. 464

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[2015] 9 एससीआर 890

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1925 कैल 1107 (1992) 194 आईटीआर 584

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

एयर 1964 एचपी 34

[1992] 2 एससीआर 155

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[1995] 1 पूरक। एससीआर 492

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.8223

2009 .

उच्च न्यायालय के 09.12.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2007 की रिट अपील No.2052 में एर्नाकुलम में केरल सरकार की ओर से।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी, बडी रंगनाथन, एवी रंगम,

अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

पी. एन. रवींद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , टी. जी. नारायणन नायर, मनीष नायर,

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था संजीव खन्ना, जे।

1. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई,

और मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, चेन्नई (अपीलार्थी) ने इस अपील में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के आदेश और निर्णय पर हमला किया, जिसमें उनकी अंतर-अदालत रिट अपील, डब्ल्यू. ए. नं. 2052/2007 को खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, खंड पीठ ने 1999 के ओ. पी. संख्या 5527 दिनांक 1 में एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की, जिसमें उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

जेम्स (प्रत्यर्थी) बैंक ऑफ कोच्चि सर्विस कोड ("सर्विस कोड") के अध्याय VIII के खंड 22 (ix) (a) के उल्लंघन के आधार पर।

21] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें वर्तमान अपील के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

09.02.1984 पर, प्रतिवादी को आरोप पत्र जारी किया गया था कि क्विलॉन शाखा के बैंक प्रबंधक के रूप में काम करते समय फरवरी 1978 से सितंबर 1982 तक, उन्होंने मुख्य कार्यालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अग्रिम राशि मंजूर करके गंभीर कदाचार किया था, जिससे बैंक को वित्तीय नुकसान हुआ था। द.

प्रत्यर्थी ने दिनांकित 30.03.1984 के जवाब में आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जब वह क्विलॉन शाखा के प्रबंधक थे तो बैंक के व्यवसाय में पर्याप्त वृद्धि और वृद्धि हुई थी। इन जमाओं में

1978 में Rs.20 लाख से बढ़कर रु। 1 1982 में यह राशि करोड़ रुपये से बढ़ गई थी। 1978 में 1.50 करोड़ रुपये से 1982 में 6 करोड़ रुपये। जिस तरह से

जिद करना। प्रत्यर्थी ने दावा किया था कि बैंक के पास शाखाओं को वित्तीय और अन्य शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक पूर्ण प्रमाण प्रणाली नहीं थी क्योंकि शक्तियां चुनिंदा प्रबंधकों को प्रदान की गई थीं। प्रत्यर्थी को तत्कालीन अध्यक्ष और निदेशक द्वारा यह समझने के लिए दिया गया था कि उसके पास पर्याप्त शक्तियां हैं और बोर्ड द्वारा उचित समय पर अग्रिमों की पुष्टि की जाएगी। शाखा के कामकाज और अग्रिमों का भारतीय रिजर्व बैंक सहित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता था। शाखा द्वारा संचालित व्यवसाय के स्वरूप के बारे में प्रत्यर्थी को कभी आगाह नहीं किया गया था। इसके बाद, शीर्ष प्रबंधन में बदलाव किए गए और अचानक प्रतिबंध लगाए गए, जिससे बकाया की वसूली प्रभावित हुई। 3. प्रत्यर्थी का उपरोक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया और जांच करने का निर्देश दिया गया। अधिवक्ता श्री सी. टी. जोसेफ को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री जिमी जॉन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी का दावा है कि श्री जिमी जॉन एक पूर्व अधिवक्ता हैं।

अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक अन्य बनाम। एम. जे. जेम्स [संजीव खन्ना, जे.]

4. आईडी1 पर, प्रत्यर्थी ने बैंक ऑफ कोच्चि के प्रबंधक (कार्मिक विभाग) को एक पत्र लिखा कि उन्हें अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संगठन परिसंघ, केरल राज्य इकाई के आयोजन सचिव श्री एफ. बी. क्रिसोस्टम (सिंडिकेट बैंक, मट्टनचेरी, कोच्चि) की सेवाओं को संलग्न करने की अनुमति दी जा सकती है। इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

इसके बाद, प्रत्यर्थी ने 18.07.1984 पर जाँच अधिकारी को एक और पत्र लिखा जिसमें बचाव की अनुमति से इनकार करने का विरोध किया गया।

श्री एफ. बी. क्रिसोस्टम ने कहा कि यह प्राकृतिक न्याय के सभी मानदंडों के खिलाफ था और सेवा संहिता का स्पष्ट उल्लंघन था। हालांकि, जांच अधिकारी ने असहमति जताई और एक निर्णय पारित किया जिसमें कहा गया कि सेवा के संदर्भ में

संहिता, एक आरोप पत्र अधिकारी का बचाव किसी भी संघ या संघ के पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है, सिवाय किसी संघ या बैंक के कर्मचारियों के संघ के पदाधिकारी के, यानी बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड। प्रतिवादी को प्रतिनिधित्व के लिए तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए, जांच अधिकारी ने साक्ष्य के लिए कार्यवाही को 06.07.1984 तक स्थगित कर दिया।

प्रबंधन। 05.09.1984 पर, प्रतिवादी ने यह कहते हुए एक लंबे स्थगन का अनुरोध किया कि वह निदेशक मंडल के समक्ष श्री एफ. बी. क्रिसोस्टम की सेवाओं से इनकार करने के आदेश पर हमला करना चाहता है। जबकि लंबे समय तक स्थगन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था, जांच अधिकारी ने प्रतिवादी को बोर्ड से संपर्क करने और उनकी प्रतीक्षा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

निर्देश, यह स्पष्ट करते हुए कि आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। 20.09.1984 पर, प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ और स्थगन की मांग की अपने भाई के माध्यम से चिकित्सा आधार पर एक सप्ताह के लिए कार्यवाही। इस अनुरोध की अनुमति दी गई थी, और जाँच को 28.09.1984 पर पोस्ट किया गया था।

5. 28.09.1984 पर, प्रत्यर्थी उपस्थित हुआ और जाँच में भाग लिया जिसमें प्रबंधन के गवाहों का बयान था रिकॉर्ड किया गया। बचाव पक्ष के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए कार्यवाही को 06.10.1984 तक स्थगित कर दिया गया था। 06.10.1984 पर, प्रत्यर्थी ने प्रबंधन को सूची में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने आपत्ति जताई। उचित विचार के बाद, जांच अधिकारी ने प्रतिवादी को अपने बचाव के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता का संकेत देने वाले दस्तावेजों को निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया। 17.10.1984 पर, प्रत्यर्थी ने फिर से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जिसमें दावा किया गया था कि वे विशिष्ट थे क्योंकि उन्होंने उन वर्षों को बताया था जिनसे रिटर्न संबंधित थे। इसके अलावा, प्रतिवादी के पास अपने कारण थे कि ये दस्तावेज जांच के लिए कैसे प्रासंगिक थे।

6. जाँच अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज पर विचार करते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया और कहा कि वे अनावश्यक और अप्रासंगिक थे।

इसके बाद, प्रत्यर्थी ने कहा कि उसके पास जाँच करने के लिए कोई गवाह नहीं है, या पेश करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है, और अचानक खड़ा हो गया और आदेश पत्र पर हस्ताक्षर किए बिना बाहर चला गया।

7. आई. डी. 1 दिनांकित अपनी विस्तृत रिपोर्ट में, जांच अधिकारी ने की गई अनियमितताओं का उल्लेख किया और कहा कि प्रतिवादी ने मुख्य कार्यालय की मंजूरी के बिना अपनी विवेकाधीन शक्तियों से परे अनधिकृत अग्रिम किया था। वास्तव में, प्रत्यर्थी ने मुख्य कार्यालय के निर्देशों का उल्लंघन स्वीकार किया था और किए गए अग्रिम अनधिकृत थे। सभी आरोपों को साबित माना गया।

8. दिनांक 18.04.1985 के एक आदेश द्वारा, बैंक ऑफ कोचीन के अध्यक्ष ने प्रत्यर्थी को उस दिन ही काम के घंटों के बंद होने से सेवा से बर्खास्त कर दिया। यह समाप्ति पत्र जांच रिपोर्ट को संदर्भित करता है और कहता है कि अध्यक्ष ने जांच अधिकारी के रिकॉर्ड, संबंधित कागजात, दस्तावेज और निष्कर्षों को सावधानीपूर्वक देखा था। इसके अलावा, अध्यक्ष ने प्रत्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया था, जिसका उन्होंने लाभ नहीं उठाया। इसके बजाय, प्रतिवादी ने 25.02.1985 पर एक अभ्यावेदन भेजा था, जो था

पहले से ही उचित रूप से विचार किया गया।

9. 26.08.1985 पर, एक निजी बैंक, बैंक ऑफ कोच्चि का भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय हो गया।

10. अपनी बर्खास्तगी के लगभग चार साल और पांच महीने बाद, प्रतिवादी ने 20.09.1989 पर अपील का एक ज्ञापन दायर किया।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, चेन्नई, जिसकी अपील पर ध्यान नहीं दिया गया और नौ साल से अधिक समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया था। प्रतिवादी ने 1998 तक विरोध का प्रतिनिधित्व नहीं किया, जब उन्होंने ओ. पी. एन. ओ. दायर किया। 19807/1998 जी केरल उच्च न्यायालय के समक्ष

एर्नाकुलम, जिसे एक एकल न्यायाधीश द्वारा 14.10.1998 पर निपटाया गया था, यह दर्ज करते हुए कि प्रतिवादी जो उसमें एक याचिकाकर्ता था, ने अपनी अपील के त्वरित निपटान के लिए एक सीमित अनुरोध किया था। उसमें दूसरे प्रत्यर्थी, मुख्य महाप्रबंधक को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अपील पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।

11. उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में, व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी गई थी

उत्तरदाता को 22.12.1998 पर। उन्हें लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी गई थी।

अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक अन्य बनाम। एम. जे. जेम्स [संजीव खन्ना, जे.]

12. दिनांकित 23.01.1999 आदेश द्वारा, अपील को खारिज कर दिया गया था

कि प्रत्यर्थी ने ऋण सुविधाओं के अनुदान में अपने प्राधिकरण को पार कर लिया था, मुख्य कार्यालय के निर्देशों का उल्लंघन किया था और कई गारंटी और दस्तावेजी बिलों के लिए मुख्य कार्यालय का अनुसमर्थन प्राप्त नहीं किया था। साबित हुए आरोप गंभीर थे, और इसलिए प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उचित था। मुख्य महाप्रबंधक ने विशेष रूप से कहा कि प्रतिवादी का बचाव इनकार करने का नहीं था, बल्कि निदेशक या अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करने का था। इसलिए, कदाचार तथ्यात्मक और कानूनी रूप से विवादित नहीं थे। यह तर्क कि प्रत्यर्थी को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई थी, बिना किसी आधार के माना गया क्योंकि जांच अधिकारी ने प्रत्यर्थी को अपनी पसंद के बैंक ऑफ कोच्चि के एक अधिकारी द्वारा बचाव करने की अनुमति दी थी। प्रत्यर्थी ने इसका लाभ उठाने से इनकार कर दिया था। इसलिए, प्रत्यर्थी प्राकृतिक न्याय की विफलता की याचिका नहीं उठा सका।

13. इसके बाद प्रत्यर्थी ने एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 1999 की ओ. पी. संख्या 5527 को चुनौती दी थी।

अखिल भारतीय बैंक संगठन परिसंघ, केरल इकाई के आयोजन सचिव द्वारा प्रतिवादी का बचाव/प्रतिनिधित्व करने का अनुरोध। इसके बावजूद, यह उचित अवसर से इनकार करने के बराबर था। जाँच में प्रत्यर्थी की भागीदारी। इसलिए, एकल न्यायाधीश के साथ जो बात भारी पड़ी, वह प्रतिवादी के अनुरोध की गलत अस्वीकृति थी।

सेवा संहिता के अनुसार अपनी पसंद के संगठन के पदाधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से कथित रूप से प्रवाहित होने वाले प्रतिनिधित्व के अधिकार का उल्लंघन। महत्वपूर्ण रूप से, निर्णय प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज करता है कि जांच रिपोर्ट में साबित किए जाने वाले आरोप 'मामूली कदाचार' का गठन करेंगे। एकल न्यायाधीश, विवेकाधीन शक्तियों से परे या प्रमुख की मंजूरी के बिना अनधिकृत अग्रिमों के आरोपों का उल्लेख करते हुए

कार्यालय ने उन्हें 'घोर कदाचार' माना। इसके अलावा, न्यायालय ने [2021] 7 एस. सी. आर. का अवलोकन किया।

कि आरोप विशिष्ट थे, और आरोप पत्र में उल्लिखित आरोप विस्तृत थे, हालांकि सेवा संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए, आरोप पत्र में विस्तृत आरोप 'घोर कदाचार' का गठन करते हैं, जो सेवा संहिता के खंड 22 (iv) (a) द्वारा शासित होते हैं। तदनुसार, एकल न्यायाधीश ने सराहना की थी कि "यदि इस कदाचार को वैध रूप से आयोजित जांच में साबित किया जाता है, तो मुझे बैंक में दोष खोजने का कोई कारण नहीं दिखता है यदि बर्खास्तगी वह सजा है जिसे वे उचित मानते हैं"।

15. अपीलार्थियों द्वारा 2007 की अंतर-न्यायालय अपील, डब्ल्यू. ए. सं. 2052, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा खारिज कर दी गई थी।

एर्नाकुलम में केरल दिनांक 09.12.2008 के फैसले के माध्यम से। वे एकल न्यायाधीश से सहमत थे कि अध्याय VIII के खंड 22 (ix) (a) का उल्लंघन किया गया था क्योंकि प्रत्यर्थी को पंजीकृत बैंक कर्मचारी संघ/संघ के प्रतिनिधि द्वारा बचाव करने की अनुमति नहीं थी। खंड की व्याख्या करते हुए, खंड पीठ ने कहा कि उक्त खंड में बैंक कर्मचारियों के समक्ष लेख "द" गायब था, जो इंगित करता है कि उसमें संदर्भित संघ/संघ केवल बैंक के कर्मचारियों के बारे में नहीं था।

स्वयं बैंक, अर्थात् 'बैंक ऑफ कोचीन', और इसलिए, इसमें अन्य बैंकों के कर्मचारी संघ/संघ भी शामिल होंगे। चूंकि प्रत्यर्थी को बैंक कर्मचारियों के संघ या संघ के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार था, इसलिए श्री एफ. बी. क्रिसोस्टम द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था। पीठ ने कोई पूर्वाग्रह नहीं होने के तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह केवल बैंक के वकील का दावा था। इसके अलावा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को इसमें शामिल किया गया था स्वयं सेवा संहिता, जिसका अधिकारी सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य थे। चूंकि अधिकारियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, इसलिए यह

अपीलार्थियों को यह साबित करना होगा कि प्रक्रिया का उल्लंघन करने से वास्तव में कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ था। इसके अलावा, डिवीजन बेंच, के अवलोकन पर जाँच अधिकारी की कार्यवाही और निष्कर्षों ने महसूस किया कि प्रतिवादी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ था। उन्होंने देखा कि एक अनुभवी वकील ने जांच की थी, और प्रस्तुत करने वाला अधिकारी भी प्रक्रिया से परिचित एक वकील था। यह देखते हुए कि प्रतिवादी सेवानिवृत्त हो गया था, यह देखा गया कि यदि नियम अनुमति देते हैं, तो बैंक को उस स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की स्वतंत्रता होगी जिस स्तर पर वह था।

अमान्य किया गया। हालांकि, यदि नियम ऐसी जांच की अनुमति नहीं देते हैं, तो

प्रत्यर्थी अपनी अवैध समाप्ति के परिणामस्वरूप सभी लाभों का हकदार होगा।

16. हम सेवा संहिता के खंड 22 (ix) (a) को पुनः प्रस्तुत करके अपनी चर्चा शुरू करते हैं, जिसमें लिखा है:

अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक अन्य बनाम। एम. जे. जेम्स [संजीव खन्ना, जे.]

" ix. ऐसे मामलों में प्रक्रिया इस प्रकार होगीः

(क) एक कर्मचारी जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है या की जाने की संभावना है, उसे एक आरोप पत्र दिया जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ पेश होने वाली परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएगा और जांच के लिए एक तारीख तय की जाएगी, उसे अपना स्पष्टीकरण तैयार करने और देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और साथ ही कोई भी सबूत पेश करने के लिए भी जो वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहेगा। उसे जांच करने वाले अधिकारी के सामने पेश होने, किसी भी गवाह से जिरह करने और अपने बचाव में अन्य सबूत पेश करने की अनुमति दी जाएगी। बैंक कर्मचारियों के पंजीकृत संघ/संघ के प्रतिनिधि द्वारा या बैंक की अनुमति से एक वकील द्वारा उनका बचाव करने की भी अनुमति दी जाएगी। उसके खिलाफ कोई आरोप स्थापित होने की स्थिति में प्रस्तावित सजा की प्रकृति के संबंध में भी उसे सुनवाई दी जाएगी।

17. व्याख्या करने के लिए, हम सेवा संहिता में परिभाषा खंड के खंड 2 (ई) का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें अभिव्यक्ति 'बैंक' है। परिभाषित किया गया है कि इसका अर्थ बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड है न कि कोई अन्य बैंक। सेवा संहिता के खंड 2 (ई) में कहा गया हैः

" " "बैंक" का अर्थ है बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड।

18. ऐसा लगता है कि चुनौती के तहत दिए गए फैसले ने सेवा संहिता के खंड 2 (ई) के निहितार्थ की अनदेखी की है। इसका उद्देश्य परिभाषा खंड विषय का वर्णन करने में बार-बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए है।

1 नहलचंद लालूचंद प्राइवेट लिमिटेड बनाम पांचाली कूप। हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (2010) 9 एस. सी. सी. 536 2 भगवती डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड वी. पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड एंड एन. आर. , (2013) 9 एस. सी. सी. 584

3 भाग 12, कानून द्वारा निर्धारित निर्माण के नियम, पृष्ठ 517 पर धारा 199 और 200, वैधानिक व्याख्या पर बेनीयन, भारतीय पुनर्मुद्रण, छठा संस्करण।

संदर्भ के अधीन है। हालाँकि, दुभाषिया को, परिभाषित अर्थ से विचलित होने के लिए, यह दिखाने के लिए कारणों को दर्ज करना चाहिए कि उस विशेष प्रावधान में शब्द/अभिव्यक्ति का एक अलग अर्थ है। विपरीत संदर्भ को परिभाषित अर्थ से अलग होने के संकेत और कारण के अभाव में आसानी से नहीं माना या स्वीकार किया जाना चाहिए। तिरस्कार तब प्रकट होता है जब परिभाषा का अर्थ संदर्भ में विषय से सहमत नहीं होता है।

सेवा संहिता के अध्याय VIII के खंड 22 (ix) (a) के संदर्भ में खंड 22 (ix) (a) में 'बैंक' शब्द से पहले अनुच्छेद 'द' की अनुपस्थिति से असहमति का संकेत नहीं दिया गया है और यह उत्पन्न नहीं होता है, जैसा कि विवादित निर्णय में माना गया है। यह बहुत कमजोर और कमजोर है जिसे त्यागने और अधिक सवारी करने का एक कारण है।

परिभाषित अर्थ जो सामान्य मानक है, और एक अपवाद नहीं है इसे उचित ठहराया जाना चाहिए। 'द' की कमी सेवा संहिता के खंड 2 (ई) के अनुसार 'बैंक' की स्पष्ट परिभाषा को छोड़ने का खुलासा नहीं करती है। मूर्खता या अस्पष्टता भी स्पष्ट या स्पष्ट नहीं है। खंड 22 (ix) (ए) में 'बैंक' शब्द की परिभाषा खंड के अनुसार वैध और प्रभावी रूप से व्याख्या की जा सकती है, न कि किसी अन्य बैंक (बैंकों) के संदर्भ में।

19. इसलिए, सेवा संहिता के खंड 22 (ix) (a) में अनुच्छेद 'बैंक से पहले' के अस्तित्व पर पूरी तरह से भविष्यवाणी किया गया तर्क विषय के संदर्भ में तिरस्कार के अनुमान को उचित नहीं ठहराता है।

सेवा संहिता के खंड 22 (ix) (a) के पीछे के इरादे सहित।

20. अब, हमें घरेलू जांच में प्रतिनिधित्व के चयन के पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दोनों पक्ष क्रेसेंट डाईज एंड केमिकल्स Ltd.v में इस न्यायालय के कथन पर भरोसा करते हैं। राम नरेश

त्रिपाठी और राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड बनाम। के. वी. रामा रेड्डी, 5 जिसका मानना है कि घरेलू पूछताछ/न्यायाधिकरणों में किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी वकील या अपनी पसंद के एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व के अधिकार को प्रतिबंधित करना वांछनीय नहीं है। यह अनुपात इस प्रस्ताव की स्वीकृति के समान नहीं है कि ऐसा अधिकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक तत्व है, और इसके इनकार से जांच तुरंत अमान्य हो जाएगी। प्रतिनिधित्व अक्सर प्रतिबंधित होते हैं। किसी कानून द्वारा, जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36 के तहत, और प्रमाणित स्थायी आदेशों द्वारा भी। उपरोक्त दो निर्णय इस विषय पर अंग्रेजी मामला कानून सहित निर्णयों के कैटेना को बताते हैं, जो स्वीकार करते हैं कि कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि नियम इस तरह के प्रतिनिधित्व को कैसे नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, अगर नियम चुप हैं, तो पार्टी

4 (1993) 2 एससीसी 115

5 (2006) 11 एस. सी. सी. 645 द चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. डी. आर. वी. एम. जे. जेम्स [संजीव खन्ना, जे.]

कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। हालांकि, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। निष्पक्षता के लिए क्या आवश्यक है

यह जाँच की प्रकृति और इससे प्रभावित व्यक्तियों पर पड़ने वाले परिणामों पर निर्भर करेगा। क्रेसेंट डायस एंड केमिकल्स लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 17. इसलिए, उपरोक्त मामले-कानून से यह स्पष्ट है कि वकील या एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। कानून, नियमों, विनियमों या स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित या विनियमित। एक अपराधी को वकील या एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि कानून विशेष रूप से ऐसा अधिकार प्रदान नहीं करता है। द.

जहाँ तक अपराधी के सुनवाई के अधिकार का संबंध है, प्राकृतिक न्याय के शासन की आवश्यकता का विस्तार नहीं हो सकता है और न ही

वकील या एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार।

इस प्रकार, अपनी पसंद के वकील या एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि एक ऐसा अधिकार है जिसे कानून, नियमों या विनियमों द्वारा नियंत्रित, प्रतिबंधित या विनियमित किया जा सकता है। हालांकि, यदि आरोप गंभीर और जटिल प्रकृति का है, तो एक वकील या एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त प्रस्ताव प्रवाहित होता है

निष्पक्ष सुनवाई की पात्रता से, जो न्यायिक के साथ-साथ अर्ध-न्यायिक निर्णयों में भी लागू होती है। 21. धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गुवाहाटी और अन्य के उपायुक्त, 6 इस न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सही निर्णयों पर पहुंचने के लिए प्रक्रियात्मक निष्पक्षता आवश्यक है,

ध्यान देंः

" 27. इस प्रकार, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रक्रियात्मक निष्पक्षता में आधारित हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि सही निर्णय लेना और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता मूल रूप से एक साधन है, इस अर्थ में कि प्रक्रिया को सटीक या उपयुक्त परिणाम सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। वास्तव में, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता वाद्य और गैर-वाद्य दोनों शब्दों में मूल्यवान है।

22. पारंपरिक अंग्रेजी कानून ने पूर्वाग्रह के खिलाफ इस नियम को मान्यता दी और महत्व दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के कारण में न्यायाधीश नहीं होगा, यानी प्रोप्रिया कारण में निमो डेबेट एसे जूडेक्स; और दूसरे या दोनों को सुनने का दायित्व

पक्ष के रूप में किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं की जानी चाहिए, यानी ऑडी अल्टरम

भाग लेते हैं। इनके लिए, कभी-कभी सहायक नियमों के रूप में वर्णित नए पहलू विकसित हुए हैं, जिसमें निर्णय के समर्थन में कारण देना भी शामिल है।

6 (2015) 8 एससीसी 519 [2021] 7 एस. सी. आर.

प्रत्येक मामले के साथ-साथ वैधानिक प्रावधान, यदि लागू हो, तो प्रभावित अधिकार की प्रकृति और परिणाम। ए. के. क्राईपाक और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य, संवैधानिक पीठ ने हमारे संविधान के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की भूमिका पर ध्यान देते हुए कहा कि चूंकि राज्य का प्रत्येक अंग कानून के शासन द्वारा नियंत्रित और विनियमित है, इसलिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है न कि मनमाने ढंग से या चपलता से। जिन प्रक्रियाओं को अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में अंतर्निहित माना जाता है, वे हैं जो एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित नहीं करती हैं। किसी दिए गए मामले में प्राकृतिक न्याय का कौन सा विशेष नियम लागू होना चाहिए, यह काफी हद तक उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, कानून की रूपरेखा जिसके तहत जांच की जाती है और उस उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों या न्यायाधिकरण के निकाय के गठन पर निर्भर करता है। जब कोई शिकायत की जाती है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है, तो अदालत को यह तय करना चाहिए कि मामले के तथ्यों में न्यायपूर्ण निर्णय के लिए उस नियम का पालन आवश्यक था या नहीं।

23. राहत पाने के लिए पूर्वाग्रह दिखाने के महत्व पर कानूनी स्थिति भी बताई जानी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और अन्य बनाम। एस. के. शर्मा, 8 इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने 'पर्याप्त अवसर' और 'बिल्कुल भी अवसर नहीं' के बीच अंतर किया और कहा कि

पूर्वाग्रह अपवाद बाद के मामले में अधिक विशेष रूप से काम करता है। यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने वाले कानून के प्रक्रियात्मक और मूल प्रावधानों के बारे में भी बताता है, जो, जब उल्लंघन किया जाता है, तो वादी को राहत देने के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनना चाहिए।

सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया थाः

" 32. अब, पूर्ववर्ती पैरा में हमारे द्वारा दिए गए चित्रण पर वापस आते हुए, क्या उपखंड (iii) के उपरोक्त उल्लंघन के आधार पर सजा और पूरी जांच को दरकिनार करना न्याय के हित में होगा या यह इसका खंडन होगा? हमारे देश में

सम्मानजनक राय, यह बाद वाला होगा। न्याय का अर्थ है दोनों पक्षों के बीच न्याय। न्याय के हित समान रूप से मांग करते हैं कि दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए और तकनीकी और अनियमितताएं जो न्याय की विफलता का कारण नहीं बनती हैं, उन्हें न्याय के उद्देश्यों को विफल करने की अनुमति नहीं दी जाती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं लेकिन

1 (1969) 2 एस. सी. सी. 262 $(1996) 3 एस. सी. सी. 364 सी. अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम। एम. जे. जेम्स [संजीव खन्ना, जे.]

न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन। उन्हें विकृत नहीं किया जा सकता है।

एकदम विपरीत अंत प्राप्त करने के लिए। वह एक काउंटर होगा

उत्पादक व्यायाम "।

24. एम. सी. मेहता बनाम में पूर्व निर्णय। भारत संघ और अन्य ने 'स्वीकार किए गए और निर्विवाद तथ्यों' की अभिव्यक्ति को शामिल किया, साथ ही इस बात पर कानूनी राय भी दी कि क्या 'मामूली ई' या 'पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना' दिखाना आवश्यक है; या एक खुले और निर्विवाद प्रभाव का कानूनी प्रभाव।

मामला ', एस. एल. कपूर बनाम में टिप्पणियों के संदर्भ में।

ओहान और अन्य, 1 0 और निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट करते हैं:

" 22. इस विवाद के अंतिम पहलुओं में जाने से पहले, हम यह बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से संबंधित मामले भी ऐसे होते हैं जहां सभी तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जाता है या सभी विवाद से परे नहीं होते हैं। उन मामलों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मामला कानून और साहित्य है कि क्या राहत से इनकार किया जा सकता है, भले ही अदालत को लगता है कि आवेदक का मामला वास्तविक नहीं है। "या कि उसकी सफलता की कोई पर्याप्त संभावना नहीं है या कि परिणाम अलग नहीं होगा, भले ही प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाए। मल्लोच वी. देखें। एबरडीन कॉर्प. (लार्ड रीड और

लॉर्ड विल्बरफोर्स), ग्लिन बनाम। कीले विश्वविद्यालय, सिनामंड

वी. ब्रिटिश हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य मामले जहां इस तरह का विचार रखा गया है। इस दृश्य में नवीनतम जोड़ आर. वी. है। ईलिंग मजिस्ट्रेट कोर्ट, एक्स पी फन्नारन (एडमिन एलआर एट पी। 358) (डी स्मिथ, सप्लीमेंट देखें। पी। 89) (1998) जहाँ स्ट्रॉघ्टन, एल. जे. ने कहा कि "संदेह से परे प्रदर्शन" होना चाहिए कि परिणाम अलग होता। लॉयड बनाम में लॉर्ड वूल्फ। मैकमोहन (डब्ल्यू. एल. आर. एट पी. 862) ने कुछ मामलों में विवेक से इनकार भी नहीं किया है।

प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के मामले। न्यूजीलैंड न्यायालय मैकार्थी वी। ग्रांट हालांकि आधे रास्ते पर चला जाता है जब यह कहता है कि

(जैसा कि पक्षपात के मामले में), आवेदक के लिए यह दिखाना पर्याप्त है कि "पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना है-निश्चितता नहीं।" दूसरी ओर, गार्नर प्रशासनिक कानून (8 वीं संस्करण)। , 1996 , पीपी। 271-72) कहते हैं कि थोड़ा सा प्रमाण कि परिणाम अलग होता, पर्याप्त है। तर्क के दूसरी तरफ, हम रिज वी के अलावा है। जॉन बनाम में बाल्डविन, मेगारी, जे। रीस ने कहा कि हमेशा "खुले और बंद मामले" होते हैं और पूर्वाग्रह के प्रमाण का कोई पूर्ण नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। लाभ के लिए नहीं हैं

9) 6 एस. सी. सी. 237

अदालत लेकिन विचार करने के लिए प्राधिकरण के लिए। एकनर, जे. ने कहा है कि "बेकार औपचारिकता सिद्धांत" एक खतरनाक है और, चाहे वह कितना भी असुविधाजनक क्यों न हो, प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाना चाहिए। उनके प्रभु ने कहा कि "सुविधा और न्याय अक्सर बोलने पर नहीं होते हैं।

शर्तें "। हाल ही में लॉर्ड बिंघम ने आर. वी. में "बेकार औपचारिकता" सिद्धांत की निंदा की है। थेम्स घाटी पुलिस बलों के मुख्य कांस्टेबल, पूर्व पी कॉटन [1990 आईआरएलआर 344] छह देकर कारणों से। (उनका लेख "क्या सार्वजनिक कानून उपचार होना चाहिए" भी देखें।

विवेकी? " 1991 पीएल, पी। 64.) "बेकार औपचारिकता सिद्धांत" की एक विस्तृत और जोरदार आलोचना प्रो. द्वारा "प्राकृतिक न्याय, पदार्थ या छाया" में बहुत पहले की गई है। कनाडा के डी. एच. क्लार्क (1975 पी. एल., पीपी. देखें। 27-63) यह तर्क देते हुए कि मैलोक और ग्लिन को गलत तरीके से तय किया गया था। फौल्क्स (प्रशासनिक कानून,

8 टी एडन। , 1996 , पी। 323) , क्रेग (प्रशासनिक कानून, तीसरा संस्करण, पी। 596) और अन्य का कहना है कि अदालत यह अनुमान नहीं लगा सकती कि क्या होना है

स्वयं किसी भी एक दृष्टिकोण के लिए हालांकि विवेकाधिकार हमेशा अदालत के पास होता है। वेड (प्रशासनिक कानून, 5 वीं संस्करण। , 1994 , पीपी। 526-30) यह कहता है कि हालांकि निरर्थक रिट जारी नहीं किए जा सकते हैं, एक अंतर जारी करना होगा निर्णय की प्रकृति के अनुसार किया जाए। इस प्रकार, स्वीकृत या निर्विवाद तथ्यों से संबंधित मामलों के अलावा अन्य मामलों के संबंध में, इस बात पर काफी मतभेद है कि क्या आवेदक को यह साबित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि परिणाम उसके पक्ष में होगा।

या उसे सार का एक मामला साबित करना होगा या क्या वह सफलता की "वास्तविक संभावना" साबित कर सकता है या क्या वह राहत का हकदार है, भले ही सफलता की कुछ दूरस्थ संभावना हो। हालाँकि, हम यह इंगित कर सकते हैं कि उन मामलों में भी जहाँ सभी तथ्यों को स्वीकार या उससे परे नहीं किया जाता है। विवाद, एक काफी सर्वसम्मति है कि अदालतें, अपने "विवेकाधिकार" का प्रयोग करते हुए, प्रमाणपत्र, निषेध को अस्वीकार कर सकती हैं,

एम. पी. कि कानूनी प्रावधानों के संबंध में भी नोटिस की आवश्यकता होती है, उन मामलों के बीच अंतर किया जाना चाहिए जहां प्रावधान है व्यक्तिगत लाभ के लिए अभिप्रेत है और जहां एक प्रावधान सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए अभिप्रेत है। पहिल मामलामे एकरा माफ कयल जा सकैत अछि जखन कि दोसर मामलामे एकरा माफ नहि कयल जा सकैत अछि।

सी. चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक अन्य बनाम। एम. जे. जेम्स [संजीव खन्ना, जे.]

23. हम "बेकार औपचारिकता" सिद्धांत की शुद्धता या अन्यथा पर कोई राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और मामले को एक उचित मामले में निर्णय के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे सामने मामले में, "स्वीकृत और निर्विवाद" तथ्य बताते हैं कि एक रिट का अनुदान व्यर्थ होगा जैसा कि चिन्नाप्पा रेड्डी, जे द्वारा बताया गया है।

25. यू. पी. राज्य बनाम सुधीर कुमार सिंह और अन्य, 11

उपरोक्त मामलों और इस न्यायालय के कई अन्य फैसलों के बारे में,

डब्ल्यू को निम्नानुसार क्रिस्टलीकृत किया गया थाः

" 39. उपरोक्त निर्णयों के विश्लेषण से इस प्रकार पता चलता हैः (1) प्राकृतिक न्याय न्यायपालिका के हाथों में एक लचीला उपकरण है जो अन्याय को दूर करने के लिए उपयुक्त मामलों में पहुँचता है। ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम का उल्लंघन अपने आप में, अधिक के बिना, नहीं हो सकता है

यह निष्कर्ष निकालना कि पूर्वाग्रह इस प्रकार उत्पन्न होता है।

(2) जहाँ प्रक्रियात्मक और/या कानून के मूल प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हैं, वहाँ उनके उल्लंघन से पारित आदेशों की अयोग्यता नहीं होती है। यहाँ फिर से, वादी के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया जाना चाहिए, कानून के एक अनिवार्य प्रावधान के मामले को छोड़कर, जिसकी कल्पना न केवल व्यक्तिगत हित में की गई है, बल्कि

जनहित में।

(3) प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत करने वाले व्यक्ति के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाता है जहां ऐसा व्यक्ति मामले पर विवाद नहीं करता है। उसके खिलाफ या उसके खिलाफ। यह अवरोध के कारण हो सकता है,

(4) ऐसे मामलों में जहां तथ्यों को स्वीकार या निर्विवाद कहा जा सकता है, और केवल एक ही निष्कर्ष संभव है, न्यायालय दरकिनार करने या रिमांड का निरर्थक आदेश पारित नहीं करता है, जब वास्तव में, कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। की वजह से। न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि

किसी मामले के तथ्यों का मूल्यांकन, न कि उस प्राधिकारी द्वारा जो

किसी व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय से वंचित करता है।

(5) "पूर्वाग्रह" अपवाद केवल एक अपवाद से अधिक होना चाहिए। एक वादी की आशंका या यहां तक कि एक उचित संदेह। यह तथ्य के रूप में मौजूद होना चाहिए, या एक निश्चित अनुमान पर आधारित होना चाहिए

0) एससीसी ऑनलाइन एससी 847 [2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्राकृतिक आचरण का पालन न करने से पूर्वाग्रह की संभावना

न्याय "।

उनकी पसंद के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया था। फिर भी उन्होंने समय लिया और उनके अनुरोध को अस्वीकार करने वाले जांच अधिकारी के आदेश के खिलाफ निदेशक मंडल के समक्ष अपील दायर नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने जांच की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी और फिर दायर की। दस्तावेजों के उत्पादन के लिए एक आवेदन। प्रासंगिकता के बारे में पूछे जाने पर, उनका रुख यह था कि दस्तावेज़ कैसे प्रासंगिक थे, इस पर उनके अपने कारण थे। पर्याप्त अवसर के बावजूद, प्रतिवादी ने सबूत पेश नहीं किया या गवाहों से पूछताछ नहीं की, और अचानक खड़ा हो गया और बाहर चला गया। अग्रिम अनुदान, खोज बिलों की स्वीकृति और बैंक गारंटी आदि के मुद्दे में उनके अधिकार से अधिक अनियमितताओं के पहलू पर अनुशासनात्मक कार्यवाही में अवलोकन और निष्कर्ष स्पष्ट हैं और अनियंत्रित रहते हैं। प्रत्यर्थी का बचाव कि उसने तत्कालीन अध्यक्ष और निदेशक के मौखिक निर्देशों का पालन किया था, जो कि संदिग्ध योग्यता का है, को अप्रमाणित बताते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस पहलू पर कुछ हद तक गुण-दोष को प्रतिबिंबित करते हुए, एकल न्यायाधीश ने कहा था कि यदि आरोप साबित हो जाते हैं तो वे घोर दुराचार हैं, जो बर्खास्तगी की सजा की गारंटी देते हैं। डिवीजन बेंच ने नहीं किया है

इस पहलू पर टिप्पणी की, लेकिन यह मानते हुए टिप्पणियां की हैं कि पूर्वाग्रह पैदा हुआ था, जो पैराग्राफ संख्या में स्पष्ट अनुपात के प्रकाश में तर्क करते हैं। 23 25 (ऊपर) तक कायम नहीं रखा जा सकता है। चुनौती के तहत निर्णय प्रतिवादी द्वारा अनुरोध किए गए बचाव के प्रभाव पर विचार नहीं करते हैं और क्या कोई प्रभावी इनकार नहीं था। का आचरण

विभागीय कार्यवाही के दौरान दिए गए अवसरों सहित प्रतिवादी पर किसी का ध्यान नहीं गया है। बहाना पर, प्रतिवादी ने मामलों या उदाहरणों का कोई विवरण या विवरण प्रस्तुत नहीं किया और सबूत देने से इनकार कर दिया। खंड 22 (ix) (a), जैसा कि कहा गया है, यह परिकल्पना करता है कि एक कर्मचारी

जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी

आरोप पत्र, अपना स्पष्टीकरण तैयार करने और प्रस्तुत करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए जिसे वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहे। उसे जांच करने वाले अधिकारी के सामने पेश होने, गवाहों से जिरह करने और अपने बचाव में अन्य सबूत पेश करने की अनुमति है। इसके अलावा, अधिकारी को एक प्रतिनिधि द्वारा बचाव करने की भी अनुमति दी जा सकती है, जो एक पंजीकृत संघ का प्रतिनिधि होना चाहिए /

'बैंक' कर्मचारियों का संघ, जिसका, जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, का अर्थ है एक संघ/अध्यक्ष, भारतीय राज्य बैंक और अन्य v.

एम. जे. जेम्स [संजीव खन्ना, जे.]

बैंक ऑफ कोच्चि के कर्मचारियों का संघ और किसी भी या अन्य बैंक के कर्मचारियों का संघ नहीं। विशेष रूप से, प्रावधान यह निर्धारित नहीं करता है कि कर्मचारी को किसी पंजीकृत संघ या बैंक ऑफ कोच्चि के संघ के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए किसी प्राधिकरण या जांच अधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होती है। इस तरह की अनुमति की आवश्यकता होती है यदि कोई कर्मचारी चाहता है कि कोई वकील अनुशासनात्मक कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करे। इस मामले में, खंड पीठ द्वारा विवादित फैसले में की गई टिप्पणियों के विपरीत, प्रतिवादी ने कभी भी किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुरोध या अनुमति नहीं मांगी थी। यह उत्तरदाता के जांच अधिकारी की पेशेवर स्थिति से अवगत होने के बावजूद है।

और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

27. इसके अलावा, 18.04.1985 पर पारित बर्खास्तगी आदेश को चार साल से अधिक समय तक चुनौती नहीं दी गई, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक को 20.09.1989 पर अपील दायर की गई थी। द.

हालाँकि, प्रत्यर्थी अपीलों से संबंधित सेवा संहिता के खंड 22 (x) पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार हैः

" ऐसे सभी मामलों में एक व्यथित कर्मचारी बोर्ड में अपील कर सकता है

निदेशकों का निर्णय अंतिम होगा।

निस्संदेह, सेवा संहिता किसी भी समय अवधि को निर्धारित नहीं करती है जिसके भीतर निदेशक मंडल के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी जा सकती है।

जिसका निर्णय अंतिम होना है, लेकिन यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी भी समय का कोई मतलब नहीं है। धारणा यह है कि अपील जल्द से जल्द संभव अवसर पर दायर की जाएगी। हालांकि, हमारा मानना है कि अपील उचित समय के भीतर दायर की जानी चाहिए। उचित समय क्या है, इसे स्ट्रैटजैकेट सूत्र में नहीं रखा जाना चाहिए या दिनों आदि के रूप में न्यायिक रूप से संहिताबद्ध नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक अधिकार जिसका लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया जाता है, वह अस्तित्व में नहीं है। अनुचित विलम्ब के बाद कार्रवाई करने के लिए किसी भी उचित स्पष्टीकरण के बिना देर से अदालत/अपीलीय अधिकारियों से संपर्क करने वाले वादियों पर देरी और विलम्ब के साथ-साथ सहमति का सिद्धांत लागू होता है। वर्तमान मामले में, द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती अपील का तरीका चार साल और पांच महीने के बाद था, जो निश्चित रूप से अत्यधिक विलंबित और न्यायोचित समय से परे है। देरी को उचित ठहराते हुए संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना, यह मानना मुश्किल है कि अपील को उचित समय के भीतर प्राथमिकता दी गई थी। विशेष रूप से, चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर थी कि प्रत्यर्थी को अपनी पसंद के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं थी। प्रत्यर्थी को पता था कि भले ही वह इस आधार पर सफल हो जाए, जैसा कि रिट कार्यवाही में हुआ है,

नई जांच को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा क्योंकि अंतिमता तब तक संलग्न नहीं की जाती है जब तक कि कोई कानूनी या वैधानिक प्रतिबंध न हो, एक ऐसा पहलू जो विवादित फैसले में भी देखा गया हो। विलंबित चुनौती के कारण अपीलार्थियों के प्रति हुए पूर्वाग्रह को दर्शाने के लिए इस पर प्रकाश डाला गया है। हम, बाद में, वर्तमान मामले के संदर्भ में सहमति के प्रश्न और उसके न्यायिक प्रभाव की जांच करेंगे।

28. प्रतिवादी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के साथ 20.09.1989 पर की गई अपील बनी हुई थी।

लगभग नौ वर्षों से अनुपस्थित। अपीलार्थी, यह स्पष्ट है, बस

रास्ता भटक गया और भूल गया कि सेवा अपील दायर की गई थी या लंबित थी। प्रत्यर्थी अपनी सेवाओं के रूप में कभी भी अपीलार्थी के बैंक का कर्मचारी नहीं था। बैंक ऑफ कोचीन, एक निजी बैंक, के भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय होने से लगभग चार महीने पहले, आईडी1 पर समाप्त कर दिया गया था। अपीलार्थी की गलती होने के कारण उसे बोझ और प्रतिकूलता झेलनी होगी

परिणाम। राम चंद और अन्य बनाम। भारत संघ और

अन्य 1 2 और उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम। मनोहर, 1 3 इस न्यायालय ने कहा कि यदि सांविधिक प्राधिकारी ने उचित समय के भीतर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, तो वह यह याचिका दायर करके इसे उचित नहीं ठहरा सकता है कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित है, उसने राहत के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क नहीं किया है। यदि कोई सांविधिक प्राधिकारी कोई आदेश पारित नहीं करता है और इस प्रकार उचित समय के भीतर सांविधिक अधिदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो उन्हें आम तौर पर बचाव करने और देरी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि ऐसे मामलों में, विलंब कार्रवाई का कारण प्रस्तुत करता है, जो कुछ मामलों में भारत संघ और अन्य में स्पष्ट किया गया है। तारसेम सिंह, 1 4 कार्रवाई का निरंतर कारण हो सकता है। राज्य को एक गुणी वादी होने के नाते वास्तविक दावों को पूरा करना चाहिए और उनकी ओर से कार्रवाई के अभाव में उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए। हालाँकि, यह सामान्य सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब तथ्यों पर विचार करने पर, अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि प्रतिवादी ने अपने अधिकारों को छोड़ दिया था, जो या तो उसके आचरण से व्यक्त या निहित हो सकता है। त्याग का अर्थ है स्वीकार करने के लिए जानबूझकर किया गया कार्य, जैसा कि मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. Ltd.v के पैराग्राफ 6 में माना गया है। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। 15 1 5 विलम्ब और विलम्ब के नियम को स्वीकार करने के इस सिद्धांत को लागू करते हुए, यह न्यायालय यू. पी. जल निगम और अन्य मामले में। जसवंत सिंह और एक अन्य, 1 6

1 2 (1994) 1 एस. सी. सी 44 13 (2005) 2 एससीसी 126

15 (1979) 2 एस. सी. सी. 409

6 (2006) 11 एस. सी. सी. 464 अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम। एम. जे. जेम्स [संजीव खन्ना, जे.]

कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने निम्नलिखित इंग्लैंड के एल्सबरी के कानूनों को स्वीकार किया है:

" 12. कानून के बयान को हैल्सबरी में भी संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

इंग्लैंड के कानून, पैरा 911, पी। 395 इस प्रकार है:

" यह निर्धारित करने में कि क्या इस तरह की देरी हुई है, जिन पर विचार किया जाना चाहिए, वे मुख्य बिंदु हैं:

((i) दावेदार की ओर से सहमति; और

((ii) प्रतिवादी की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है। भाग।

इस अर्थ में स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि जब तक किसी अधिकार का उल्लंघन चल रहा है, तब तक खड़े रहें, बल्कि उल्लंघन पूरा होने और दावेदार को इसके बारे में पता चलने के बाद सहमति दें। दावेदार को एक उपाय देना अन्यायपूर्ण है, जहां उसने अपने आचरण से ऐसा किया है जिसे उचित रूप से समकक्ष माना जा सकता है।

इसे माफ करने के लिए; या जहां अपने आचरण और उपेक्षा से, हालांकि उपाय को माफ नहीं किया है, उसने दूसरे पक्ष को ऐसी स्थिति में डाल दिया है जिसमें उसे रखना उचित नहीं होगा यदि बाद में उपाय का दावा किया जाना था। ऐसे मामलों में समय की कमी और देरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इन विचारों पर निर्भर करता है लैच का सिद्धांत "।

13. जैसा कि ऊपर संक्षेपित किया गया है, कानून के बयान को देखते हुए, उत्तरदाता दोषी हैं क्योंकि उत्तरदाताओं ने सेवानिवृत्ति स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की है और समय पर इसे चुनौती नहीं दी है। यदि वे पर्याप्त सतर्क होते, तो वे इस मामले में अन्य लोगों की तरह रिट याचिका दायर कर सकते थे। इसलिए, जब भी ऐसा प्रतीत होता है कि दावेदारों ने समय गंवाया है या इसे दूर कर दिया है और रिट याचिकाएं दायर करने के लिए समय पर नहीं उठे हैं, तो ऐसे मामलों में अदालत को पदधारी को राहत देने में बहुत धीमी गति से काम करना चाहिए। दूसरा, इसे पदधारी की ओर से सहमति या छूट के सवाल पर भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या राहत मिलने पर अन्य पक्ष पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने वाले हैं। दिया गया। वर्तमान मामले में, यदि उत्तरदाताओं के पास होगा

के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उनकी सेवानिवृत्ति को चुनौती दी

देयता को पूरा करने के लिए धन जुटाना लेकिन उनका दावा नहीं करना अधिकार उत्तरदाताओं ने समय बिताने की अनुमति दी है और कुछ वर्षों के अंतराल के बाद, उन्होंने लाभ [2021] 7 एस. सी. आर. का दावा करते हुए रिट याचिकाएं दायर की हैं।

दो साल के लिए। इसके लिए निश्चित रूप से निगम को धन जुटाने की आवश्यकता होगी जिसका निगम के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़ने वाला है। अदालत को ऐसे व्यक्तियों के बचाव में क्यों आना चाहिए, जबकि वे खुद छूट और सहमति के दोषी हैं?

29. आगे बढ़ने से पहले, 'स्वीकृति' और 'विलंब और विलंब' के बीच अंतर को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। का सिद्धांत

सहमति एक न्यायसंगत सिद्धांत है जो तब लागू होता है जब एक अधिकार रखने वाला पक्ष खड़ा होता है और दूसरे को उस अधिकार के साथ असंगत तरीके से व्यवहार करता है, जबकि अधिनियम प्रगति पर है और उल्लंघन पूरा होने के बाद, जो आचरण उसकी सहमति या समझौते को दर्शाता है। वह बाद में शिकायत नहीं कर सकता। 1 7 शाब्दिक अर्थ में, स्वीकृति शब्द का अर्थ है मौन सहमति, मौन सहमति, सहमति या स्वीकृति, 18 1 8 जो इस आचरण को दर्शाता है कि

एक पक्ष के एक न्यायसंगत अधिकार को छोड़ने के इरादे का प्रमाण है और उस आचरण को भी दर्शाता है जिससे किसी अन्य पक्ष को न्यायसंगत ठहराया जाएगा।

इस तरह के इरादे का अनुमान लगाना। 19 1 9 स्वीकृति या तो पूर्ण ज्ञान और स्पष्ट अनुमोदन के साथ प्रत्यक्ष हो सकती है, या अप्रत्यक्ष रूप से जहां कार्रवाई को दरकिनार करने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति खड़ा रहता है और दूसरे को उस अधिकार के साथ असंगत तरीके से व्यवहार करता है और उल्लंघन के बावजूद स्वीकृति को प्रतिबिंबित करने वाली कोई कार्रवाई नहीं करता है। 20 हालाँकि, यदि समय बीतने का कोई महत्व या परिणाम नहीं है तो सहमति लागू नहीं होगी।

30. सीमा के विपरीत लैच लचीले होते हैं। हालांकि, सीमा और अवरोध दोनों ही उपचार को नष्ट कर देते हैं लेकिन अधिकार को नहीं। स्वीकृति जैसी बाधाएं न्यायसंगत विचारों पर आधारित होती हैं, लेकिन स्वीकृति के विपरीत सरल निष्क्रियता भी होती है। दूसरी ओर, स्वीकृति का अर्थ सक्रिय सहमति है और यह रोक-थाम के नियम पर आधारित है। अवरोध के एक रूप के रूप में, यह एक पक्ष को बाद में उल्लंघन की शिकायत करने से रोकता है

दाहिनी ओर। यहां तक कि अप्रत्यक्ष स्वीकृति का अर्थ लगभग सक्रिय सहमति है, जिसका अनुमान केवल मौन या निष्क्रियता से नहीं लगाया जा सकता है जो बाधाओं में शामिल है। इस तरह से प्राप्ति देरी से काफी अलग है। अधिग्रहण वस्तुतः व्यक्ति के अधिकार को नष्ट कर देता है। 2 1 को देखते हुए

17 प्रभाकर वी. देखें। संयुक्त निदेशक, रेशम उत्पादन विभाग और दूसरा, (2015) 15 एस. सी. सी. 1. इसके अलावा, गोबिंद रामानुज दास मोहंता बनाम देखें। राम चरण दास और सुयाल दास, ए. आई. आर. 1925 कैल 1107

18 मेसर्स विद्यावती कपूर ट्रस्ट बनाम देखें। मुख्य आयुक्त कर (1992) 194 आई. टी. आर. 584 19 कृष्ण देव बनाम। श्रीमती. राम प्यारी एयर 1964 एचपी 34

20 "परिचय", यू. एन. मित्र, टैगोर लॉ व्याख्यान देखें।

सीमा का
कानून और
-
प्रिस्क्रिप्शन, खंड I, 14 वां संस्करण, 2016।

21 फुटनोट 18 द चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. डी. एच. आर. वी. का संदर्भ लें। एम. जे. जेम्स [संजीव खन्ना, जे.]

पूर्वोक्त कानूनी स्थिति, प्रत्यर्थी की ओर से निष्क्रिय सहमति का अनुमान अपील दायर होने तक लगाया जा सकता है, न कि अपील दायर करने के बाद की अवधि के लिए। फिर भी, विरोध की प्रकृति में यह स्वीकृति प्रतिवादी को निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के अधिकार के उल्लंघन का दावा करने से रोकती है।

31. पूर्वाग्रह, स्थिति परिवर्तन, तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण या राहत की मांग करने वाले पक्ष की ओर से हितों के सवाल महत्वपूर्ण और प्रासंगिक पहलू हैं क्योंकि देरी तथ्यों को अस्पष्ट कर सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है।

संदिग्ध दावे, और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय को रोक सकते हैं। अक्सर, प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य गायब हो जाते हैं या पता लगाने योग्य नहीं होते हैं जो विरोधी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा करते हैं। इसलिए, अदालत के लिए यह आवश्यक है कि वह सचेत रूप से जांच करे कि क्या किसी पक्ष ने मामले पर बैठने का विकल्प चुना है और कोई लाभ और लाभ प्राप्त करने के लिए जाग गया है, जो पहलू मैसर्स डेहरी रोहतास लाइट रेल में देखे गए हैं। कं. लिमिटेड बनाम। जिला बोर्ड, भोजपुर और अन्य 22 और महाराष्ट्र राज्य बनाम। दिगंबर। 23 इन पहलुओं को, जब साबित किया जाता है, तब फैक्टर और संतुलित किया जाना चाहिए, भले ही अधिकारियों की ओर से देरी हो। इनमें असर देने वाला अनुदान और राहत को रोकना शामिल है। इसलिए, हमने आक्षेपित निर्णय में दी गई राहत को देखते हुए अपीलार्थियों के प्रति पूर्वाग्रह के पहलू को ध्यान में रखा है।

32. दी गई राहत निश्चित रूप से गंभीर वित्तीय है।

अच्छे प्रशासन के लिए हानिकारक। 24 अच्छे प्रशासन का यह सिद्धांत कठिनाई या तीसरे पक्ष के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह से स्वतंत्र है और इसके लिए विशिष्ट साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है कि यह वास्तव में हुआ है, हालांकि राहत रोकने के संबंध में कुछ साक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है। राहत से केवल असुविधा के लिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जब कठिनाई हो 22 (1992) 2 एस. सी. सी. 598

23 (1995) 4 एस. सी. सी. 683 24 आर. (पार्किन के आवेदन पर) वी। रेस्टॉर्मेल बी. सी. [2001] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 330 [2021] 7 एस. सी. आर.

ओ. पी. सं. 19807/1998 जी. में एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया, जिसके तहत अपील पर विचार करने और निपटारे के लिए दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे, जो, यह स्पष्ट है, एक निर्देश के रूप में व्याख्या की गई कि अपील का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। मुख्य महाप्रबंधक की दुर्दशा की सराहना की जा सकती है, जिन्हें संवैधानिक न्यायालय के निर्देश के संदर्भ में अपील पर निर्णय लेना पड़ा और इसलिए, देरी और अड़चनों के आधार पर अपील को खारिज करने में उनकी अनिच्छा। याचिका को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हमेशा होता है।

विवेकाधीन जिसे पक्षों के आचरण को ध्यान में रखना होता है।

34. दिनांक 04.12.2009 के आदेश द्वारा, विवादित निर्णय के संदर्भ में प्रतिवादी को देय देय राशि मुख्य महाप्रबंधक की संतुष्टि के लिए प्रतिभूति प्रदान करने पर उसे जारी कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि जारी की गई राशि को सावधि जमा में रखा गया है। जारी किए गए भुगतान को इस निर्णय की घोषणा की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर वापस करने और बिना ब्याज के अपीलार्थी बैंक को वापस करने का निर्देश दिया जाता है। हालाँकि, यदि उपरोक्त अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रतिवादी इस निर्णय की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा दी गई प्रतिभूति को लागू करने के हकदार होंगे।

35. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, वर्तमान अपील है -

अनुमति दी जाती है और विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। हम बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखते हैं और इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज माना जाएगा। कोई आदेश नहीं होगा

लागतों के लिए।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन

25 आर. वी. एकाधिकार और विलय आयोग एक्सपो। आर्गिल समूह [1986] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 763।